प्रेस नोट
दिनांक 19.02.2024, थाना मनकापुर,
जनपद गोण्डा।

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा में अन्तर्जनपदीय सॉल्वर सहित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन, कूटरचित दस्तावेज बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोण्डा श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी कर अपने स्थान पर सॉल्वर से पेपर दिलाने के आरोप में सॉल्वर/अभ्यर्थी सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.02.2024 को आवेदक रविशंकर पुत्र श्यामलाल कार्यवाहक प्रधानाचार्य आर0पी0 इण्टर कालेज मनकापुर द्वारा थाना मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदो पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा प्रथम पाली 10:00 बजे से 12:00 बजे की परीक्षा में आर0पी0 इण्टर कालेज मनकापुर गोण्डा के हाल–सी0 में परीक्षार्थी विजय कुमार पुत्र श्यामनारायण यादव नि0 ग्राम रामलालपुरवा इमिलिया थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को परीक्षा में सम्मिलित होना था, लेकिन विजय कुमार द्वारा धोखाधड़ी व कूटरचना कर आपराधिक षडयन्त्र कर अपने स्थान पर साल्वर विकास कुमार को अपनी जगह परीक्षा में सम्मिलित कराया। वादी की तहरीर पर थाना मनकापुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना उ0नि0 योगेन्द्र सिंह को सुपुर्द की गयी थी। थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत एवं अथक प्रयोपरांत अभ्यर्थी/साल्वर–01. विकास कुमार, 02. विजय कुमार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन, कूटरचित दस्तावेज बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभ्यर्थी विजय कुमार द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा में बिहार राज्य के रहने वाले सॉल्वर विकास कुमार को 06 लाख रूपये में अपने स्थान पर पेपर देने हेतु बुलाया गया था। दिनांक 18.02.2024 को आर0पी0 इण्टर कालेज मनकापुर में पुलिस भर्ती की प्रथम पाली की परीक्षा में विकास कुमार अभ्यर्थी विजय कुमार की जगह पेपर देने हेतु गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. विकास कुमार पुत्र रामवेलास निवासी घौसही पो0 बरही थाना फूलपरास जिला मधुबनी बिहार।
02. विजय कुमार पुत्र श्यामनरायण यादव निवासी ग्राम रामलालपुरवाँ इमिलिया थाना खरगुपूर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–69/2024, धारा 419,420,120बी,467,468,471 व 34 भा0द0वि0 व 6 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 1998 थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 योगेन्द्र सिंह।
02. उ0नि0 सुभाष यादव।
03. हे0का0 दीनदयाल यादव।
04. का0 सत्यम शिवम सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 19.02.2024, थाना को0नगर,
जनपद गोण्डा।

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोप में 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का दानपत्र बरामद–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0–66/24, धारा 379,411 भादवि से 02 चोरों–01. अमरपाल, 02. सुनील को गिरफ्तार कर उनके से चोरी का दानपत्र बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 17.02.2024 को थाना तरबगंज क्षेत्र अन्तर्गत स्थित केवला सम्मय माता मंदिर में रखे दानपत्र को अभियुक्त अमरपाल व सुनील द्वारा चोरी कर लिया गया था। वादी सत्यप्रकाश सिंह नि0 रानीपुर थाना तरबगंज की तहरीर पर थाना तरबगंज में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना तरबगंज पुलिस द्वारा उक्त दोनो चोरो को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का दानपत्र बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. अमरपाल पुत्र रक्षाराम नि0 भिखारीपुर लोखड़ियागंज थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. सुनील पुत्र रक्षाराम नि0 भिखारीपुर लोखड़ियागंज थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–66/24, धारा 379,411 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद दानपत्र।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 अरूण कुमार गौतम मय टीम।

प्रेस नोट
दिनांक 19.02.2024, थाना को0नगर,
जनपद गोण्डा।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, चोरी की 02 विद्युत मोटर बरामद–

कार्यवाहीः–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा शातिर चोर शान अली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 अदद विद्युत मोटरों को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
आज दिनांक 19.02.2024 को थाना को0 नगर के उ0नि0 अमरनाथ मय फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि निर्माणाधीन मेडिकल कालेज के पास एक व्यक्ति चोरी की विद्युत मोटरों के साथ खड़ा है और बेचने हेतु कही जाने वाला है। सूचना पर पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुॅचकर अभियुक्त शान अली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 अदद विद्युत मोटरों को बरामद किया गया। बरामद विद्युत मोटरों के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो मोटरों को मेरे द्वारा आई0टी0आई0 बाउन्ड्री के अन्दर से चोरी किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. शान अली पुत्र गुल्ले नि0 आईटी0आई0 चौराहा सिविल लाइन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–100/2024, धारा 41,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 02 अदद विद्युत मोटर।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 अमरनाथ।
02. का0 विजय सिंह।
03. का0 जितेन्द्र गंगवार।